



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16032026-270983  
CG-DL-E-16032026-270983

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1285]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 16, 2026/फाल्गुन 25, 1947

No. 1285]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 16, 2026/PHALGUNA 25, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2026

का.आ. 1344(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. S.O.4553 (E) तारीख 07/10/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा असम राज्य के हैलाकांदी जिले में NH37 के कि.मी. 15.500 से कि.मी.17.800 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख तारीख 30 अक्टूबर, 2025 को "युगसंख्य" और "पूर्वी क्रॉनिकल" दोनों में प्रकाशित किया गया था का.आ. 4553(अ) तारीख 07/10/2025 के लिए.

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

### अनुसूची

असम राज्य के हैलाकांदी जिले में NH37 के कि.मी. 15.500 से कि.मी.17.800 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: असम			जिले का नाम: हैलाकांदी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: अलगापुर					
गांव का नाम: कालीनगर पं। प्रथम					
1	157	सरकारी	श्रेणी नाई	0.1015	असम सरकार 157
2	157/545	निजी	गैर कृषि (भीत)	0.0328	काली मंदिर समिति 157/545
3	323	निजी	कृषि (चारा)	0.054	शेक खातून बीबी, पति स्वर्गीय सकोत अली 323
4	323	निजी	कृषि (चारा)	0.1732	अलोमगीर, पिता अबू बक्कर 323
5	323	निजी	कृषि (चारा)	0.0445	मोसदर अली, पिता स्वर्गीय इदरीस अली 323

6	323	निजी	कृषि (चारा)	0.0274	सफ़िया बेगम, पति मोयना मिया 323
<b>गांव का नाम: पोलारपार</b>					
7	113	सरकारी	श्रेती नाई	0.0692	असम सरकार 113
8	249	निजी	गैर कृषि (भीत)	0.0305	(i) सदानंद मालाकार (ii) रामानंद मालाकार पिता स्वर्गीय धीरेंद्र मालाकार 249
9	323	निजी	कृषि (अचरा उरा)	0.1695	बिबाश सिंघा, पिता अबोनिकांत सिंघा 323
10	340	निजी	कृषि (आचरा उरा)	0.0185	(i) मालती रानी सिंघा (ii) भानु रानी सिंघा, पिता अभय चरण सिंघा 340
11	342	निजी	कृषि (आचरा उरा)	0.0205	अमिय कंथा सिंहा, पिता आशुतोष सिंहा 342
<b>Total</b>				<b>0.7416</b>	

[फा. सं. 3/1/2607/3A/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th March, 2026

**S.O. 1344(E).**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.4553 (E) Dated:07/10/2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH37 in the stretch of land from Km. 15.500 to Km. 17.800 in the District of Hailakandi in the State of Assam.

And whereas the substance of the said notification has been published in Jugasankha 30.10.2025 and Eastern Chronicle 30.10.2025; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received no objections under Section 3-C.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH37 in the stretch of land from Km. 15.500 to Km. 17.800 in the District of Hailakandi in the state of Assam.

State: ASSAM			District: HAILAKANDI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Algapur</b>					
<b>Village: Kalinagar Pt I</b>					
1	157	Government	Shreni Nai	0.1015	Government of Assam 157
2	157/545	Private	Non Agriculture (Bhit)	0.0328	Kali Mandir Committee 157/545
3	323	Private	Agriculture (Chara)	0.054	Shek Khatun Bibi Wo Lt Sakot Ali 323
4	323	Private	Agriculture (Chara)	0.1732	Alongir S/o Abu Bakkar 323
5	323	Private	Agriculture (Chara)	0.0445	Mosaddar Ali So Lt Idris Ali 323
6	323	Private	Agriculture (Chara)	0.0274	Safia Begum W/o Moyna Mia 323
<b>Village: Polarpar</b>					
7	113	Government	Shreni Nai	0.0692	Government of Assam 113
8	249	Private	Non Agriculture (Bhit)	0.0305	(i) Sadananda Malakar (ii) Ramananda Malakar S/o Lt. Dhirendra Malakar 249
9	323	Private	Agriculture (Achra Ura)	0.1695	Bibash Singha, S/o Abonikanta Singha 323
10	340	Private	Agriculture (Aachra Ura)	0.0185	(i) Malati Rani Singha (ii) Bhanu Rani Singha, D/o Abhay Charan Singha 340
11	342	Private	Agriculture (Aachra Ura)	0.0205	Amiya Kantha Singha, S/o Ashutosh Singha 342
<b>Total</b>				<b>0.7416</b>	

[F. No. 3/1/2607/3A/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director